

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारीका स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	Development of Urga Pathalgaon section of NH-130 (Raipur – Dhanad Economic Corridor) in the State of CG under Bharatmala		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	GM. (Tech.) / Project Director NHAI, PIU – Korba CG		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	Development of Urga Pathalgaon section of NH-130 (Raipur – Dhanad Economic Corridor) in the State of CG under Bharatmala		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		रायगढ़	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़ एवं बाकारूमा परिक्षेत्र
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण	आवेदित क्षे. का क्षेत्रफल हे. में		
क.	आरक्षित वन	26.6399		
ख.	संरक्षित वन	27.8631		
ख.	नरंगी वनभूमि	10.4794		
ग.	राजस्व वनभूमि	25.9894		
		90.9718		
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	वनों का प्रकार	साल एवं मिश्रित वन	
		साइट क्वालिटी	III	
		घनत्व	0.5	
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	आवेदित क्षेत्र में कुल वृक्षों की संख्या 22214 नग वृक्ष। गणना पत्रक संलग्न है।		
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	माध्यम है।		
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	खनिज प्रकरण नहीं है।		

10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	उक्त उरगा से पत्थलगांव एन.एच. मार्ग लेमरु हाथी रिजर्व सीमा से 2.5 कि.मी. की दूरी पर आता है, प्रस्तावित मार्ग धरमजयगढ़ एवं बाकारुमा परिक्षेत्र में जहां वर्ष भर वन्य हाथी की उपस्थिति और आवागमन रहता है। मुख्यतः अंडरपास/ओवरपास हेतु चिन्हित स्थलों पर हाथी दल का आवागमन होता रहता है।
11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	नहीं है।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देंगे।	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रमाण - प्रत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है/नहीं की जाती है।

निरीक्षण स्थल :धरमजयगढ़/बाकारुमा.....

दिनांक :7/6/2023.....

अभिषेक जोषावत भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल